



भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी - II)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
Indian Audit and Accounts Department
Office of the Accountant General (A&E-II)
Uttar Pradesh, Prayagraj



पत्रांक:ले.ह.-ii//नि.स.(प्र.)/ग्रुप-ii/परिपत्र

दिनांक:-

सेवा में,

खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी (सिंचाई विभाग)

विषय:- सिंचाई विभाग के खंडों में परफार्मेंस गारंटी/ परफार्मेंस सेक्योरटी के संबंध में ।

महोदय,

अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग के खंड में परफार्मेंस गारंटी/ परफार्मेंस सेक्योरटी नहीं जमा कराये जाने का प्रकरण सामने आया है। ऐसे में यह अपेक्षित है कि यदि सिंचाई विभाग के खंडों में अनुबंध गठन के समय सुसंगत शासनादेशों के अंतर्गत परफार्मेंस गारंटी/ परफार्मेंस सेक्योरटी जमा नहीं कराई जा रही है तो इसकी सूचना संबन्धित विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त इस कार्यालय के संबन्धित अनुभाग अर्थात नि.ले.-4, नि.ले.-5 एवं नि.ले.-6, को भी प्रेषित करें।

तदनुसार सिंचाई विभाग में कार्यरत सभी खंडीय लेखाकारों/लेखाधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार प्रकरण (यदि कोई हो तो) की सूचना अपने खंडीय लेखे से संबन्धित अनुभाग अर्थात नि.ले.-4, नि.ले.-5 एवं नि.ले.-6 को प्रेषित करें।

उपमहालेखाकार/निर्माण महोदय के अनुमोदनोपरांत निर्गत।

भवदीय

Digitally signed by
Chauharja Prasad Singh
Date: 10-02-2025

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.स. (प्र)

पत्रांक:ले.ह.-ii//नि.स.(प्र.)/ग्रुप-ii/परिपत्र

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- संबन्धित अधिशासी अभियंता को इस आशय से प्रेषित कि, वित्तीय शूचिता एवं मासिक लेखे की शुद्धता बनाए रखे हेतु परफार्मेंस गारंटी/ परफार्मेंस सेक्योरटी से संबन्धित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.स. (प्र)